कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक/पंजीयन/ 3033 /2015 नया रायपुर, दिनांक : 17/06/2015

प्रति,

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं (समस्त),
संभाग .... (छ0ग0)

विषय :– छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता (निरसन्) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत कार्यवाही बाबत्।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2014/3522 दिनांक 17/07/2014.

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण दिनांक 25/03/2014 छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता (निरसन्) अधिनियम, 2014 संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियों के संबंध में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के तहत् नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये, उक्त समितियों से प्राप्त उपविधियों के अनुकूलन संबंधी आवेदन का परीक्षण कर, अधिनियम एवं नियम के अनुकूल पाये जाने पर स्वायत्त अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को निरस्त कर सहकारी सोसायटी के रूप में पंजीयन कर नया पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं तथा प्रगति से प्रतिमाह अवगत कराने का लेख किया गया है। लेकिन आज दिनांक तक स्वायत्त सहकारिताओं का पंजीयन निरस्त कर, सहकारी सोसायटी के रूप में पंजीकरण करने की जानकारी अप्राप्त है। उक्त स्वायत्त सहकारिताओं द्वारा आज भी पूर्व की भांति कार्य करने की सूचना प्राप्त हो रही है, जबकि छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता अधिनियम का निरसन् हो चुका है।

अतः स्वायत्त सहकारिता के समस्त क्रियाकलापों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जावे तथा पूर्व निर्देशानुसार छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा नियम, 1962 के उपबंधों के अनुरूप उपविधि संशोधन योग्य होने पर सहकारी संस्था के रूप में नया पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत ही नयी पंजीकृत संस्था के रूप में उक्त संस्थाएं कार्य प्रारंभ कर सकेगी। उक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित किया जावे।

16.6.15
(अखिलेश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ0 क्रमांक/पंजीयन/ 3033 /2015 नया रायपुर, दिनांक 17/06/2015

प्रतिलिपि :–

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं (समस्त), जिला .... (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़